REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2002/ज्येष्ठ 28, 1924
No. 278] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2002/JYAISTHA 28, 1924

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2002

क्रम सं. पीसी-V/345 **आर बी ई सं. 87/2002**

सा.का.नि. 433(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 1996 से लागू माना जाएगा।

2. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 की प्रथम अनुसूची में टिपण्णी 5 के नीचे उप पैरा (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—

(ii) वर्ष 2002 के लिए एस-15 (8,000—13,500 रुपए) के संशोधित वेतनमान में ऑपरेट किए जाने वाले पदों की संख्या 1 जनवरी, 2002 और 1 जुलाई, 2002 को तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए 1 जनवरी और प्रत्येक ऐसे अनुवर्ती वर्ष के लिए 1 जुलाई को तदर्थ आधार पर वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्यरत समूह "ख" लेखाधिकारियों सहित समूह "ख" लेखा अधिकारियों की संख्या को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी।

[सं. पी सी-V/97/I/ईसी/1(पार्ट 1)]

आर. के. सिंह, सचिव

पाद टिप्पणी :—

(i) मूल रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 584(अ) तारीख 8-10-1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(ii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 69(अ) तारीख 5-2-1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(iii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के लिए शुद्धि-पत्र सा.का.नि. सं. 72(अ) तारीख 9-2-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(iv) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 54(अ) तारीख 24-1-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2002

S. No. PC-V/345 **RBE No. 87/2002**

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules in Amendment to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 namely :—

1. (1) These rules may be called Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1996.

2. Sub-para (ii) below Note 5 in the First Schedule to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 may be substituted by the following :—

(ii) For the year 2002 the number of posts to be operated in the revised scale S-15 (Rs. 8,000—13,500) will be determined in reference to the Group 'B' Accounts Officers on roll including the Group 'B' Accounts Officers officiating in senior scale on *ad hoc* basis, as on 1st day of January, 2002 and as on 1st day of July, 2002 and for subsequent years as on 1st day of January and 1st day of July of each such subsequent year.

[No. PC-V/97/I/EC/1(Pt. 1)]

R. K. SINGH, Secy.

Foot Note :

(i) Original Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 584(E) dated 8-10-1997.

(ii) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1997 vide G.S.R. No. 69(E) dated 5-2-1998.

(iii) Corrigendum to Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 72(E) dated 9-2-1998.

(iv) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2001 vide G.S.R. No. 54(E) dated 24-1-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.